राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प 7 (51) परि/नियम/मु0/पार्ट–I/95 जयपुर, दिनांक : 27/11/09

कार्यालय आदेश संख्या....31..... /2009

राज्य के परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर लागू करते समय ड्राईविंग लाईसेंस में वाहन की श्रेणी के संबंध में आ रही समस्याओं के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा मार्गदर्शन निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :–

1. ट्रेक्टर हल्के मोटर वाहन की श्रेणी में आते हैं अतः ट्रेक्टर का विशेष श्रेणी का लाईसेंस ना बनाया जाकर हल्के मोटर वाहन (एल.एम.वी.) का लाईसेंस बनाया जावेगा। पूर्व में जारी ट्रेक्टर चलाने के लाईसेंस को नवीनीकरण करते समय हल्के मोटर वाहन (एल.एम.वी.) के लाईसेंस के रूप में नवीनीकरण किया जावेगा।

2. ऑटो रिक्शा व ट्रेक्टर–ट्रेलर हल्के परिवहन यान की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। अतः उपरोक्त श्रेणी के वाहन के लाईसेंस आवेदकों को हल्के मोटर वाहन चलाने के साथ–साथ परिवहन यान का ऑथराईजेशन दिया जावेगा। ऑटो रिक्शा व ट्रेक्टर ट्रेलर के पूर्व में जारी लाईसेंस का नवीनीकरण LMV with transport Authorisation में किया जावेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि हल्के मोटर वाहन लाईसेंस धारक को Transport Vehicle के लिए प्राधिकृत करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा 1 वर्ष पुराना हल्के मोटर वाहन का होना आवश्यक है।

3. यदि किसी लाईसेंस धारक को पूर्व में ऑटो रिक्शा को निजी रूप में चलाने हेतु लाईसेंस जारी किया हुआ है तो उसका नवीनीकरण केवल हल्के मोटर वाहन के रूप में ही किया जावेगा।

4. पूर्व में यदि किसी लाईसेंस धारक को LMV with Paid Employee लाईसेंस जारी किया हुआ है तो उसका नवीनीकरण LMV with transport Authorisation किया जावेगा।

5. लर्निंग लाईसेंस जारी करते समय स्थाई लाईसेंस शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा।

6. लेमिनेटेड ड्राईविंग लाईसेंस का पत्र 7 के नवीनीकरण व डुप्लीकेट एक साथ कराने पर लाईसेंस कार्ड की कीमत एक बार ही लगेगी।

7. मध्यम व भारी परिवहन यानों चलाने के लिए Transport Vehicle का लाईसेंस दिया जावेगा।

(निरन्जन आर्य)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

क्रमांक :- प 7 (51) परि/नियम/मु0/पार्ट–I/95 जयपुर, दिनांक :

1. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ....।
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी.................................।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण...।
4. रक्षित पत्रावली।

27/11/09
उप परिवहन आयुक्त (नियम)